1991-92	60	46	45	151	278546	5136
1992-93	57	29	45	131	251665	2310

उपर्युक्त अन्वेषण कार्य निम्नलिखित कोयला क्षेत्रों में शुरू किया गया—जैसे रानीगंज, झरिया, राजमहल, नार्थ करनपुरा, साउथ करनपुरा, ईस्ट बोकारो, वेस्ट बोकारो, रामगढ़, पाठाखेरा, काम्पटी, वर्धा वैली, बंडर, पेंच कान्हा, कोरबा, सोहागपुर, मंड रायगढ़, विश्रामपुर, उमरिया, सेंदुरगढ़, हसदेव-अरंड, लखनपुर, जोड़िला, सोनहट, सिंगरौली, तालचर, इब और माकुम, इत्यादि ।

(घ) केन्द्रीय खान आयोजन एवं डिजाइन संस्थान लि० द्वारा वर्ष 1992-93 के दौरान अन्वेषण अधीन 131 अन्वेषित ब्लाकों में से केवल 29 ब्लाक ओपनकास्ट प्रत्याशित, जबकि 57 ब्लाक भूमिगत प्रत्याशित थे और 45 ब्लाक उत्पादन समर्थन अपेक्षाओं के लिए शुरू किए गए थे ताकि विद्यमान भूमिगत खानों से उत्पादन को बढ़ाया जा सके ।

कोयला धोवनशालाओं के आधुनिकीकरण में विलम्ब

2448. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धोवनशालाओं के आधुनिकीकरण के कार्य में देरी की गयी है;

(ख) यदि हां, तो 1987 के पश्चात कितनी धोवनशालाओं के आधुनिकीकरण के कार्य में देरी की गयी;

(ग) आधुनिकीकरण के कार्य में विलम्ब किए जाने के क्या कारण हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किन-किन धोवनशालाओं का आधुनिकीकरण किया गया ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (घ) 10 विद्यमान कोककर कोयला वाशरियों के आधुनिकीकरण का कार्य (6 भारत कोकिंग कोल लि० और 4 सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०) सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के अंतर्गत शुरू किया गया था । आधुनिकीकरण को पूरा किए जाने का कार्य "लघु-अवधि" एवं "दीर्घ-अवधि" उपायों से संबद्ध है, जिसकी समिति द्वारा सिफारिश की गई थी । लघु-अवधि तथा दीर्घ-अवधि उपायों के क्रियान्वयन को दो वाशरियों में पूरा कर लिया गया है अर्थात भारत कोकिंग कोल लि० की मूनीडीह और सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० की स्वांग वाशरियों में । लघु-अवधि और दीर्घ-अवधि उपायों के क्रियान्वयन को दो वाशरियों को पूरा कर लिया गया है । शेष वाशरियों में दीर्घ-अवधि उपायों के क्रियान्वयन का कार्य प्रगति पर है । विलंब का कारण मुख्यत: कोयला कंपनियों के पास वित्तीय स्रोतों की कमी थी ।

भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन

2449. **श्री गोपालसिंह जी० सोलंकी :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला कंपनियों के दुलमुल रवैये के कारण भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन स्थिर बना हुआ है;

(ख) यदि हां, तो गत पांच वर्षों के दौरान भूमिगत खानों से कोयले का उत्पादन प्रति वर्ष कितना-कितना रहा; और

(ग) सरकार भूमिगत खानों और खुली खानों से उत्पादन के लक्ष्य अलग-अलग निर्धारित करने के लिए क्या प्रयास कर रही है और इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) पिछले 5 वर्षों से भूमिगत तथा ओपनकास्ट खानों के संबंध में कोयला उत्पादन के लक्ष्य अलग से निर्धारित किए जा रहे हैं ।

कोयला परियोजनाओं की लागत में अन्तर

2450. **चौधरी हरमोहन सिंह :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोयला परियोजनाओं की रूपरेखा बनाते समय मुद्रास्फीति पर ध्यान नहीं दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो परियोजनाओं की लागत में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) जी, हां । विद्यमान प्रक्रिया के अनुसार कोयला परियोजनाओं के लागत अनुमानों को "चालू कीमतों" के आधार पर निर्धारित किया जाता है और अनुमानों में मुद्रास्फीति के कारण लागत में हुई वृद्धि के लिए कोई व्यवस्था नहीं रखी जाती है । परियोजना निर्माण अवधि के दौरान आमतौर पर लागत में, बाजार मुद्रास्फीति के कारण कीमतों में वृद्धि होने, करों तथा शुल्कों में परिवर्तन होने और

विदेशी मुद्रा की दरों, आदि में परिवर्तन होने के कारण, वृद्धि हो जाती है।

कोयला-भंडारों का रखरखाव, नियंत्रण और सत्यापन

2451. **श्री राम सिंह राठवा :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले के भंडारों के रखरखाव, नियंत्रण और सत्यापन की वर्तमान प्रणाली की जांच हेतु 1989 के बाद एक उप-समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उप-समिति से अपना प्रतिवेदन निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) कोल इंडिया लि० के निदेशक बोर्ड ने दिनांक 22-12-90 को संपन्न अपनी 113वीं बैठक में एक उप-समिति की नियुक्ति की, ताकि ऊपरी मलबा हटाये जाने तथा कोयले के स्टाक के निश्चित तौर पर मापन किए जाने की वर्तमान पद्धति तथा प्रक्रिया की जा सके।

(ख) से (घ) इस उप-समिति ने विस्तृत रूप में अध्ययन किए जाने के बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। कोल इंडिया लि० के निदेशक बोर्ड द्वारा उप-समिति की कुछ संशोधनों के साथ इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया है। स्वीकृत की गई इन सिफारिशों को संहिताबद्ध कर दिया गया है और कोल इंडिया लि० तथा उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सख्ती से क्रियान्वित किए जाने के लिए इनका प्रचालन कर दिया गया है। इस संहिता में कोयले तथा कोयले के मलबे को ओपनकास्ट खानों में मापे जाने, भूमिगत खानों में कोयले के उत्पादन को मापने के लिए कोलियरी उपभोग के लिए कोयले को जारी किए जाने के लिए मानदण्ड और कोयले के स्टाक में कमी होने के मामलों में जांच तथा कार्यवाही, आदि किए जाने के बारे में अंगीकृत की जाने वाली पद्धति निर्धारित की गई है।

कोयले पर रायल्टी

2452. **श्री अहमदेव आनन्द :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि या नहीं कि कोयले पर रायल्टी कोयले के मूल्य के आधार पर निर्धारित दी जाती थी;

(ख) यदि हां, तो इस समय यह रायल्टी कोयले के वजन के आधार पर देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोयले का मूल्य विद्यमान मूल्य का 40 प्रतिशत हुआ करता था; और

(घ) इस समय जो रायल्टी दी जा रही है वह कितना प्रतिशत बैठती है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) और (ख) वर्ष 1966 के पूर्व अधिकांश खनिजों पर रायल्टी की दरें पिटों के मुहानों पर कोयले की बिक्री कीमत की प्रतिशतता के रूप में निर्धारित की जाती थीं, अर्थात यथामूल्य आधार पर।

इसके बाद में गठित किए गए अध्ययन दलों ने खनिजों पर रायल्टी की दरों का यथामूल्य आधार पर निर्धारण किए जाने की पद्धति की सिफारिश नहीं की।

(ग) कोल इंडिया लि० द्वारा उत्पादित कोयले की वर्ष 1982 में (रु० 145.90) की औसत कीमत, वर्तमान (382 रु० प्रति टन) की औसत कीमत की तुलना के लगभग 38 प्रतिशत होने का हिसाब लगाया गया है।

(घ) कोल इंडिया लि० (को० इं० लि०) के कोयले की रायल्टी की दर (70 रु० प्रति टन) की औसत दर को० इं० लि० के कोयले की वर्तमान (382 रु० प्रति टन) की औसत कीमत की तुलना में 18.3% होने का हिसाब लगाया गया है।

कोयले पर रायल्टी का निर्धारण

2453. **श्री अहमदेव आनन्द पासवान :** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोयले पर रायल्टी उसके मूल्य के आधार निर्धारित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह तरीका कोयले के वजन के आधार पर रायल्टी निर्धारित करने की वर्तमान प्रणाली की तुलना में बेहतर नहीं है और क्या वजन के बजाय मूल्य के आधार पर कोयले पर रायल्टी निर्धारित करना उपयुक्त नहीं होगा; और

(ग) क्या कोयले के मूल्य के अनुसार रायल्टी निर्धारित करने में कोई कठिनाई है ?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री अजित कुमार पांजा) : (क) से (ग) एम० एन० (आर० एण्ड डी०) अधिनियम, 1957 की धारा 9(3), केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम की द्वितीय अनुसूची में राजकीय राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा संशोधन करने की शक्ति प्रदान करती है, ताकि रायल्टी की दरों में कमी अथवा वृद्धि की जा सके, जिस दर पर कि अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गई प्रभावी किसी ऐसी तारीख से किसी खनिज के मामले में रायल्टी की राशि देय होगी। पूर्व में केन्द्रीय सरकार रायल्टी की दरों को निर्धारित करने के विभिन्न पहलुओं की जांच करने के संबंध में और इस संबंध में सरकार को सिफारिश करने के लिए अध्ययन दल गठित करती रही है। फरवरी, 1991 में गठित अध्ययन दल ने रायल्टी की दरों को यथा मूल्य आधार पर निर्धारित करने का समर्थन नहीं किया था और उसने कोयले पर विशिष्ट दरों पर रायल्टी निर्धारित करने की सिफारिश की थी। तदनुसार रायल्टी की दरें दिनांक 1-8-91 पिछले संशोधन के मामले में विशिष्ट आधार पर निर्धारित की गई थीं। सामान्यतः विशिष्ट दरों को कर प्रशासन की दृष्टि से बेहतर माना जाता है, चूंकि कीमत की तुलना में मात्रा तो केवल विषयपरक मात्र है।